बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 17 2267 पटना, दिनांक 26/12/2013

ग्रा.वि.-9(था) 08/12 भाग -2

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
आयुक्त, मनरेगा
-सह-
सचिव, लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार ।

विषय:- **लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा मनरेगा अंतर्गत सिंचाई उपक्रमो से संबंधित अनुमान्य कार्य कराने के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 161153 दिनांक 01.10.2013 ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा लघु जल संसाधन विभाग के कार्य प्रमण्डलों द्वारा आहर/ पईन के सुदृढीकरणआदि कार्य के संबंध में यह दिशानिर्देश दिया गया है कि प्रथम चरण में हर एक कनीय अभियंता के प्रक्षेत्र में कम-से-कम एक कार्य जो आहर/ पईन के सुदृढीकरन कार्य,राजकीय ट्यूबवेल (State Tube Well) के चैनेल निर्माण,जल शस्य संचय (Water Harvesting) से संबंधित योजनायें मनरेगा के अंतर्गत ली जायें । तदनुसार वर्ष 2013-14 की अनुमोदित कार्य योजना एवं वर्ष 2014-15 की कार्य योजना में विधिवत प्रक्रिया के अनुसार यथोचित कार्यों को शामिल किया जाय ताकि 2013-14 में प्रत्येक कनीय अभियंता के क्षेत्रांतर्गत कम से कम 1-1 अतिरिक्त आहर/ पईन के सुदृढीकरन कार्य से संबंधित कार्य शुरू किया जा सके ।इस क्रम में अब तक कोई भी प्रगति नही हुयी है ।

आप अवगत हैं कि इस वर्ष राज्य के 33 जिलों में सूखा पडा है । इस परिप्रेक्ष्य में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ बनाना, विशेष कर राजकीय ट्यूबवेल के चैनल निर्माण और भी आवश्यक हो जाते हैं । सुलभ प्रसंग हेतु राजकीय ट्यूबवेल के चैनल निर्माण से संबंधित open channel तथा underground channel के मानक प्राक्कलनों को इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने जिला अंतर्गत राजकीय ट्यूबवेल के चैनल निर्माण से संबंधित कार्यों का रोड मैप तैयार कर लघु जल संसाधन विभाग के प्रमंडल कार्यालय के माध्यम से कराये जायें। वर्तमान में राज्य में 3184 ट्यूब वेल (नलकूप) कार्यरत हैं जिनकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है एवं लघु जल संसाधन विभाग के वेबसाईट पर भी देखी जा सकती है । इसके अलावे नाबार्ड फेज- 11 के तहत 1740 अकार्यरत ट्यूब वेल को मार्च, 2014 तक कार्यान्वित करने के लिये बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी को 108 करोड रूपये दिये जा चुके हैं और इसपर कार्य हो रहा है ।

प्रथम चरण में सभी कार्यरत नलकूपों एवं नाबार्ड फेज- 11 के नलकूपों के चैनल निर्माण की शुरूआत करने हेतु निम्नांकित निर्देश दिये जा रहे है । साथ हीं मनरेगा के अन्तर्गत कार्यों का चयन, कार्यान्वयन की प्रक्रिया, अभिलेखों के संधारण, भुगतान, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के संबंध में मुख्य प्रावधान पूर्व प्रासंगिक पत्र में दिये गये थे, उसके अभिसरन कार्य को सुचारू बनाने हेतु निम्नवत संशोधन किये जाते है:-

i. योजनाओं का कार्यान्वयन **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटीअधिनियम**एवं उक्त के आलोक में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों/ परिपत्रो के प्रावधानो के अनुसार किया जायेगा ।

ii. **कार्यान्वयन एजेंसी**, कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन प्रमंडल होंगे ।

iii. मनरेगा योजना अंतर्गत निबंधित मजदूरों के माध्यम से कार्य किया जाना है । अत: संबंधित कार्यपालक अभियंता निबंधित मजदूरों को ही रोजगार देंगे । ऐसे इच्छुक मजदूर जो निबंधित नही हो सके हैं उनको पंचायत रोजगार सेवक के माध्यम से निबंधित करा देंगे ।

iv. **योजना का चयन** एवं उसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अद्यतन निर्गत संशोधित अनुसूची -1 के कंडिका 7 के आलोक में अन्य कार्यान्वयन निकायों (जिसमे लाइन विभाग आते हैं) के द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं को पारित कराकर कार्यान्वित कराया जाय ।

v. **तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियों का प्रत्योजन:-** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्ति प्रत्योजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या- ग्राअ.वि. 8 (विविध)-33/2005 पार्ट -9888 दिनांक 25.08.2010 के आलोक में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी ।

vi. **श्रम तथा सामग्री का अनुपात:-** लाईन विभाग द्वारा कार्यान्वित मनरेगा की योजनाओं में श्रम तथा सामग्री का अनुपात प्रखंड स्तर पर 60:40 संधारित किया जाना है । वर्तमान में प्रस्तावित चैनल निर्माण योजना में सामग्री घटक 60% से ज्यादा है । अत: जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा अंतर्गत अन्य श्रम प्रधान योजनाओं के माध्यम से कार्य करा कर 60:40 का मजदूरी:सामग्री के अनुपात को प्रखंड स्तर पर संधारित करेंगे ।

vii. **योजना का कार्यान्वयन:-** चयनित योजना को संबंधित कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता के माध्यम से विभागीय तौर पर करायेंगे, जिसमे सामग्री की खरीद नियमानुसार की जायेगी पर मजदूरी मात्र काम मांगने वाले निबंधित मजदूरों को उपलब्ध करायी जायेगी । प्रत्येक चैनल का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की समयावधि 3 माह होगी । योजना के चयन तथा प्राक्कलन बनाने के क्रम में यह ध्यान रखा जाय कि यह योजना निजी जमीन से भी गुजरेगी इस लिये निर्माण पर सभी प्रभावित भू-स्वामी की सहमति प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय । सहमति स्टाम्प पेपर पर ली जायेगी ।

viii. योजना के कार्यान्वयन में मनरेगा के MIS (nrega.nic.in) से generate किये गये ई-मस्टर (e-muster)राल का प्रयोग किया जायेगा तथा इसपर दर्ज हाजरी एवं की गयी मापी के आलोक में MIS (nrega.nic.in) से generate किये गये भुगतान आदेश(wage list)को बैंक एडवाईस के रूप में

उपयोग करते हुए चेक के साथ सीधे बैंक को भेजा जायेगा । इसमें एक एडवाईस में अनेक मजदूर का भुगतान शामिल होगा । कालांतर में भुगतान की कार्रवाई e-FMS के माध्यम से की जायेगी ।

ix. **मजदूरी का भुगतान** मनरेगा अंतर्गत निर्धारित दर पर किया जायेगा जो साप्ताहिक मस्टर के बंद होने के 15 दिनो के अन्दर मजदूरो को कर देना है । भुगतान मजदूरों के बैंक/ पोस्ट आफिस खाते में किया जाना है । विलंब से भुगतान किये जाने पर क्षतिपूर्ती भुगतान तथा जवाबदेही के निर्धारण कर वसूली का प्रावधान है ।

x. ई-मस्टर साप्ताहिक है तथा साप्ताहिक मस्टर के बंद होने के 3 दिनो के अंदर कनीय अभियंता द्वारा मापी अवश्य ले ली जाय तथा उक्त मापी की चेक मापी/ सत्यापन सहायक अभियंता द्वारा अगले 3 दिनो में कर ली जाय । मापी के बाद MIS में डाटा की प्रविष्टि तथा MIS से wage list generate करना उसे कार्यपालक अभियंता से कराना, चेक/ एडवाईस तैयार करने का कार्य अगले 6 दिनों में सुनिश्चित करते हुए एडवाईस हर हाल में मस्टर बंद होने के 13वें दिन तक संबंधित बैंक/ पोस्ट आफिस को अवश्य भेज दी जानी है ।

xi. योजना के कार्यान्वयन में संवेदक का प्रावधान नही है ।

xii. योजना के कार्यान्वयन में लेबर डिसप्लेसींग मशीन पर रोक है, अर्थात् मिट्टी कटाव एवं भराई कार्य में मशीन नहीं लगायी जाएगी । मिट्टी कम्पैकसेन (compaction) एवं मटेरियल के कम्पैकसेन (compaction) के लिए मशीन लगायी जा सकती है, जिसकी समुचित प्रविष्टि अभिलेख में सामग्री मद अंतर्गत की जाएगी ।

xiii. **निधि प्रवाह/ प्रबंधन** के लिये के निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है:-

क) लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि की50% राशि जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन प्राप्त कर निधि प्रबंधक द्वारा सीधे लघु जल संसाधन विभाग के प्रमंडलीय कार्यालय के अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता के **PD Account** में अंतरित कर दी जायेगी तथा इसका 60% का उपयोगिता विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर 50% राशि उपलब्ध करायी जायेगी । चूंकि कार्य पूरा करने की अवधि 3 माह है, अत: यह ध्यान रखना होगा की राशि के प्रवाह में विलंब के कारण कार्य पूरा करने में विलंब न हो ।

ख) प्रमंडल द्वारा मनरेगा योजना के लिये अलग रोकड बही का संधारण किया जायेगा ।

ग) हर वर्ष लेखा का अंकेक्षण Statutory Auditors द्वारा किया जायेगा ।लेखा परीक्षण महालेखाकार द्वारा भी किया जा सकेगा ।

xiv. योजना के प्रशासनिक मद में होने वाले व्ययों के लिये योजना मद में व्यय किए गये राशि का 3% राशि संबंधित कर्यपालक अभियंता को दिया जायेगा जिसका व्यय Executive Assistant के मानदेय भुगतान, ICT facility, कार्यालय आकस्मिकता, प्रचार प्रसार आदि में किया जायेगा ।

xv. काम शुरु करने की प्रक्रिया- काम का आवंटन- मस्टर रौल तैयार करना, मजदूरी एवं अभिश्रवों का भुगतान मनरेगा के MIS का उपयोग कर किया जायेगा । इसके लिये प्रत्येक सहायक

अभियंता के साथ एक Executive Assistant रखा जायेगा, जिसका चयन जिला पदाधिकारी द्वारा बनाये गये जिला स्तरीय पैनल से किया जायेगा । ऐसे सभी Executive Assistant के प्रशिक्षण की व्यवस्था एक साथ डी0आर0डी0ए0 स्तर पर की जायेगी जिसमे hands on training की व्यवस्था की जायेगी । MIS के लिये login तथा password राज्य स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा ।

xvi. जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सभी संबंधित अभियंताओं के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी ।इस प्रशिक्षण में MIS पर विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगाताकि वे इनका समुचित उपयोग कर सकें ।

xvii. जिला कार्यक्रम समन्वयक अपनी मासिक समीक्षात्मक बैठक में संबंधित निर्माण के कार्य की प्रगति की सामयिक समीक्षा सुनिश्चित करेंगे । मुख्य अभियंता/ अधिक्षण अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग अपने अपने क्षेत्र में इस निदेश के अनुपालन की समीक्षा करेंगे ।

इस निर्देश एं लघु जल संसाधन विभाग की सहमति प्राप्त है ।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
आयुक्त, मनरेगा
-सह-
सचिव, लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक- 17226 पटना,दिनांक:- 26/12/2013

ग्रा.वि.-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को माननीय मंत्री के सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

आयुक्त, मनरेगा
-सह-
सचिव, लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक- 17226 पटना,दिनांक:- 26/12/2013

ग्रा.वि.-9(थ) 08/12 भाग(2)

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग को माननीय मंत्री के सूचनार्थ हेतु प्रेषित। सचिव, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ ।

आयुक्त, मनरेगा
-सह-
सचिव, लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक- 17267 पटना, दिनांकः- 26/12/2013

ग्रा.वि.-9(थ) 08/12 भाग(2)

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त, मनरेगा
-सह-
सचिव, लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक- 172267 पटना, दिनांकः- 26/12/2013

ग्रा.वि.-9(थ) 08/12 भाग(2)

प्रतिलिपिः- विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

आयुक्त, मनरेगा
-सह-
सचिव, लघु जल संसाधन विभाग ।